(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. स - 238 -नई दिल्ली, 7 दिसंबर, 2011

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, उर्वरक बर्थ सं. 1 पर पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड द्वारा कार्गो प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु पारादीप पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं. टीएएमपी/36/2011–पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास —————— आवेदक

आदेश
(नवम्बर, 2011 के 22वें दिन पारित)

परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) ने अगस्त 2009 में अपने केपटिव बर्थ (उर्वरक बर्थ सं. 1) में (पीपीएल द्वारा) कार्गो प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु प्रस्ताव दाखिल किया है। इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी/28ए/2009–पीपीटी दिनांक 29 नवम्बर 2010 द्वारा पीपीटी को इस सलाह के साथ पीपीटी के उक्त प्रस्ताव का निपटान किया था कि उक्त आदेश में निर्धारित कार्यपद्धति का अनुसरण करते हुए उर्वरक बर्थ सं. 1 (एफबी–1) के लिए आबंटनीय व्ययों पर पुर्नकार्य करे और वास्तविक आंकड़ों तथा उक्त आदेश में स्पष्ट की गई कार्यपद्धति का अनुसरण करते हुए वर्ष 1999–2000 से 2009–10 तक पीपीएल द्वारा परिचालित बर्थ पर कार्गो प्रहस्तन के लिए बर्थ किराया प्रभार और घाटशुल्क प्रभार के निर्धारण के लिए अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करे। इस प्राधिकरण को अपना प्रस्ताव अग्रेषित करने से पहले, पीपीटी को सलाह दी गई थी कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर पीपीएल द्वारा सत्यापित आंकड़ों को लिया जाए।

2.1. आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 के अनुपालन में, पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 28 फरवरी 2011 द्वारा अपना संशोधित प्रस्ताव पीपीएल को अग्रेषित किया था जिसकी एक प्रति हमें पृष्ठांकित की गई थी।

2.2. प्रतिसाद में, पीपीएल ने अपने पत्र दिनांक 5 मार्च 2011 द्वारा पीपीटी से आंकड़ों को सही प्रकार से समझने के लिए कुछ दस्तावेज और गणनाएं तथा एफबी–1 में आबंटन करने के लिए या विभिन्न व्ययों को प्रभाजित करने के लिए पीपीटी द्वारा अंगीकृत आधार पर सही सुझाव भेजने का अनुरोध किया गया था। पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 21 मार्च 2011 द्वारा पीपीएल द्वारा अपने पत्र दिनांक 5 मार्च 2011 द्वारा अनुरोध किए गए सूचना/दस्तावेज भेजे थे।

2.3. पीपीएल ने अपने पत्र दिनांक 12 अप्रैल 2011 द्वारा पीपीटी से कुछ मुद्दों पर मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण और अपनी टिप्पणियां भेजी थी। पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 10 मई 2011 द्वारा पीपीएल द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और पीपीएल की टिप्पणियों के आधार पर संशोधित लागत विवरण भेजे थे।

2.4. पीपीएल ने अपने पत्र दिनांक 24 मई 2011 द्वारा दोबारा कुछ प्रश्न उठाए थे। पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 जूलन 2011 द्वारा पीपीएल को प्रतिसाद दिया था कि इसके पत्र दिनांक 10 मई 2011 के कवर के अधीन पीपीटी द्वारा प्रेषित लागत विवरण अंतिम माने जाएं, क्योंकि इसके पत्र दिनांक 24 मई 2011 में पीपीएल की टिप्पणियों के लेखा पर दरों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है। इन विनिमयों के ब्योरे यहां पर स्पष्ट नहीं किए गए हैं क्योंकि बाद में पत्तन और पीपीएल उनके बीच के मतभेदों को कम करने के लिए इकट्ठे बैठे थे।

3.1. पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 जून 2011 के कवर के अधीन अपने केपटिव बर्थ (एफबी–1) में पीपीएल द्वारा कार्गो प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क के संशोधन हेतु अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया था। पीपीटी ने कहा था कि इसके पत्र दिनांक 10 मई 2011 के कवर के अधीन पीपीटी द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव को अंतिम माना जाए क्योंकि उसके बाद पीपीएल द्वारा अपने पत्र दिनांक 24 मई 2011 द्वारा उठाए गए प्रश्नों का प्रस्ताव में परिगणित दरों पर कोई प्रभाव नहीं है।

3.2. पीपीएल ने अपने पत्र दिनांक 11 जुलाई 2011 द्वारा कहा है कि सिद्धांत पर कुछ ऐसे मुद्दों से संबंधित अपने पत्र दिनांक 24 मई 2011 द्वारा जो पत्तन के पिछले प्रभारों पर न केवल निर्णायक हैं, अपितु भविष्य प्रभारों का भी निर्णय होगा जिसका पीपीएल पर दीर्घकालिक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। अतः पीपीएल ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि वह पीपीएल को सलाह दे कि इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सीधे या इस प्राधिकरण की उपस्थिति में पीपीएल के साथ इस मामले पर चर्चा करे।

3.3. तत्पश्चात, पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2011 द्वारा कहा है कि उसने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए पीपीएल अधिकारियों के साथ बैठक की थी और परस्पर सहमत मुद्दों के आधार पर, उसने लागत विवरणों को संशोधित किया है। पीपीटी ने अपने उपर्युक्त पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2011 के कवर के अधीन 15 जुलाई 2011 को पीपीएल के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति के साथ संशोधित लागत विवरण भेजे थे।

4.1. पीपीटी के प्रस्ताव दिनांक 2 सितम्बर 2011 के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:–

(i). एफबी–1 के लिए प्रशुल्क 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2010 तक अर्थात 1999–2000 से 2009–10 तक 11 वित्ती वर्षों के लिए संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ii). पीपीटी ने घाटशुल्क प्रभारों की गणना की है और प्रासंगिक वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ग्यारह वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए मासिक बर्थ किराया प्रभार निर्धारित किए हैं।

(iii). पीपीटी ने एफबी–1 के लिए घाटशुल्क प्रभारों और बर्थ किराया प्रभारों पर पहुंचने के लिए सामान्यतः इस प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 द्वारा निर्धारित कार्यपद्धति का अंगीकरण किया है, सिवाय इसके कि इस आदेश के अनुवर्ती अनुच्छेदों में दी गई कुछ मदों के मामले में विपथन हैं।

4.2. टनभार आधारित घाटशुल्क दर और पीपीटी द्वारा प्रस्तावित निर्धारित मासिक बर्थ किराया प्रभार नीचे तालिका में दिए गए हैं:

वर्ष	घाटशुल्क दर (रु0 प्रति टन)	निर्धारित बर्थ किराया प्रभार (रु0 लाखों में प्रति माह)
1999-00	19.29	66.89
2000-01	13.70	66.13
2001-02	20.99	51.29
2002-03	18.86	49.55
2003-04	15.86	52.88
2004-05	31.40	58.32
2005-06	25.37	59.44
2006-07	19.21	53.51
2007-08	15.49	51.73
2008-09	16.26	57.85
2009-10	18.84	69.12

4.3. संशोधित लागत विवरणों के अनुसार, सभी ग्यारह वर्षों के लिए कुल घाटशुल्क प्रभार और बर्थ किराया प्रभार, प्रस्तावित दरों के अनुसार, क्रमशः रु0 32.98 करोड़ और रु0 76.40 करोड़, कुल रु0 109.39 करोड़, परिगणित किए गए हैं। जैसाकि पीपीटी द्वारा बताया गया है, सभी उक्त वर्षों के लिए इसके द्वारा पहले से वसूल किए गए घाटशुल्क प्रभार और बर्थ किराया प्रभार रु0 115.21 करोड़ है, जो दर्शाता है कि पीपीटी रु0 5.82 करोड़ की अधिक वसूली पहले ही कर चुका है।

4.4. पीपीटी ने मिल–बैठकर मुद्दों को हल करने के लिए पीपीएल अधिकारियों के साथ बैठक के कार्यवृत्त अपने पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2011 द्वारा इस प्राधिकरण के अवलोकन के लिए अग्रेषित किए थे। बैठक में उठाए गए मुद्दे और की गई चर्चा तथा लिए गए निर्णय निम्नवत् हैं:

(i). **केपिटल निकर्षण**

पीपीएल ने सूचित किया है कि टीएएमपी दिशानिर्देशों के अनुसार केपिटल निकर्षण की लागत निकर्षित सिल्ट की मात्रा पर प्रभाजित की जानी है। प्रतिसाद में, पीपीटी ने स्पष्ट किया है कि, उसने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में यथा निर्दिष्ट 31.3.1986 के अनुसार पीपीएल बर्थ की पूंजी लागत पर विचार किया है और अनुवर्ती वर्षों के लिए मंत्रालय दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास स्वीकार किया है। पत्तन की निकर्षण लागत बर्थों की सं. के आधार पर प्रभाजित की गई है क्योंकि बर्थों के समीप से निकर्षित सिल्ट के अभिलेख न तो अलग से लेखांकित किए गए हैं और न ही पत्तन के पास उपलब्ध हैं।

पीपीएल ने सुझाव दिया है कि अभिलेखों के अभाव में, कम से कम लागत बर्थ की लम्बाई के आधार पर विभाजित की जानी चाहिए और पीपीटी को भविष्य व्ययों के अभिलेख व्यवस्थित करने चाहिएं। पीपीटी ने अभिव्यक्त किया है कि क्योंकि बर्थों के बीच स्पष्ट रूप से निशानदेही नहीं है इसलिए यह संभव नहीं है कि बर्थ की लम्बाई के आधार पर लागत का विभाजन किया जाए। पीपीटी ने भी कहा है कि भविष्य में भी अभिलेखों को व्यवस्थित करना मुश्किल है और इसका निर्णय टीएएमपी पर छोड़ने का सुझाव दिया है।

(ii). **अनुरक्षण निकर्षण**

पीपीएल अधिकारियों ने सूचित किया है कि टीएएमपी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुरक्षण निकर्षण लागत निकर्षित सिल्ट की मात्रा के आधार पर प्रभाजित की जानी है। यह स्पष्ट किया गया था कि पत्तन ने बर्थों की सं. के आधार पर अनुरक्षण निकर्षण लागत प्रभाजित की है क्योंकि बर्थों के समीप से निकर्षित सिल्ट के अभिलेख न तो अलग से लेखांकित किए गए हैं और न ही पत्तन के पास उपलब्ध हैं।

पीपीएल ने सुझाव दिया है कि अभिलेखों के अभाव में, कम से कम लागत, बर्थ की लम्बाई के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिए और पीपीटी को भविष्य व्ययों के लिए अभिलेख व्यवस्थित करने चाहिएं। पीपीटी ने अभिलेखों को व्यवस्थित करने में कठिनाई अभिव्यक्त की थी और सुझाव दिया था कि इसका निर्णय टीएएमपी पर छोड़ दिया जाए।

(iii). भूमि लागत

पीपीएल अधिकारी ने एक आपत्ति उठाई थी कि चूंकि पारादीप पत्तन रेलवे सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए रेलवे परिचालनों के लिए इस्तेमाल की गई भूमि की लागत उनमें आबंटित नहीं की जानी चाहिए। पीपीटी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पत्तन पर उपलब्ध भूमि सभी गतिविधियों जैसे कार्गो प्रहस्तनि, पोत संबंधित, रेलवे तथा संपदा के लिए नहीं है। रेलवे सुविधाओं के लिए उपयोग की गई भूमि की सीमा के संबंध में पत्तन के पास अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। पीपीएल इसपर सहमत नहीं था। पीपीटी ने इसका निर्णय टीएएमपी पर छोड़ने का सुझाव दिया था।

(iv). परिसंपत्तियों का बंटवारा

पीपीएल अधिकारियों द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था कि सभी परिसंपत्तियों को व्यवसाय परिसंपत्तियों के रूप में मानने के लिए पीपीटी द्वारा अंगीकृत कार्यपद्धति उपयुक्त नहीं है और पीपीएल के लिए सहमति–योग्य नहीं है। पीपीएल के अनुसार, सामाजिक संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग की गई भूमि की लागत उनमें प्रभाजित नहीं की जानी चाहिए। पीपीटी ने सूचित किया है कि व्यवसाय तथा अन्य गतिविधियां एक–दूसरे से जुड़ी हुई हैं और समेकित है तथा उन्हें अलग–अलग नहीं किया जा सकता। सरकारी एजेंसी होने के नाते पत्तन की अपने कर्मचारियों एवं जनता के प्रति सामाजिक जिम्मेदारियां हैं और इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित परिसंपत्तियों की लागत सभी लाभ केन्द्रों को वहन करनी होगी। पीपीएल इसपर सहमत नहीं था और इसका निर्णय टीएएमपी पर छोड़ दिया गया था।

(v). संयुक्त परिसंपत्तियों का प्रभाजन

पीपीएल अधिकारियों ने कहा है कि संयुक्त परिसंपत्तियां पहले पत्तन की प्रधान गतिविधियों के बीच बांटी जानी चाहिएं और उसके बाद पोत संबंधित गतिविधि के अधीन आबंटनीय परिसंपत्तियों को जीआरटी अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाना चाहिए। पत्तन अधिकारी इसपर सहमत थे और टीएएमपी को पहले से प्रस्तुत किए गए आंकड़े दिए गए ब्योरों के अनुसार संशोधित किए जाएंगे। (पीपीटी ने इस संबंध में विवरण भेजा है)।

(vi). नियोजित पूंजी

पीपीएल अधिकारियों ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शेष निवल प्रखंड को लेने की बजाय पत्तन ने आरओसीई की गणना के लिए वित्तीय वर्ष की शुरूआत में खुला निवल प्रखंड को लिया है, जोकि टीएएमपी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है। पत्तन अधिकारी इसपर सहमत थे और टीएएमपी को पहले से प्रस्तुत किए गए आंकड़े ब्योरों के अनुसार संशोधित किए जाएंगे। (पीपीटी ने इस संबंध में विवरण भेजा है)।

4.5. पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2011 की प्रति एवं इस संबंध में 15 जुलाई 2011 को पीपीएल के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति पीपीएल को पृष्ठांकित की थी।

5. इस प्राधिकरण के समक्षा पीपीटी द्वारा दाखिल किया गया अंतिम प्रस्ताव दिनांक 2 सितम्बर 2011 पीपीटी और पीपीएल के बीच 15 जुलाई 2011 को हुई बैठक में प्रकट हुई स्थिति के आधार पर दिखाई देती है। यह उल्लेखनीय है कि बर्थ एफबी–1 के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के लिए पीपीटी के पूर्ववर्ती प्रस्ताव का निपटान करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 में भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि पीपीटी को पीपीएल के साथ विचार–विमर्श करके अपना प्रस्ताव दाखिल करना चाहिए। चूंकि दोनों ही पक्षों ने उनके बीच हुए परस्पर विचार–विमर्श की प्रक्रिया को अपनाया है और बैठक के कार्यवृत्त दोनों पक्षों के मतों को दर्शाते हैं, इसलिए इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई करना जरूरी नहीं समझा गया था।

6. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः

(i). जैसाकि पहले बताया गया है, पीपीटी और पीपीएल ने एफबी–1 के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के संबंधम में दस्तावेज और सूचना एक–दूसरे के बीच बांटे हैं। पीपीटी से प्राप्त ऐसे दस्तावेजों और सूचना के सत्यापन के

पश्चात, पीपीटी ने पीपीटी के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां की हैं। यह भी देखा गया है कि पीपीएल द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर, पीपीटी ने एफबी–1 के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के लिए अपना प्रस्ताव संशोधित किया है। यह प्रक्रिया प्रस्ताव दिनांक 10 मई 2011 में कल्मीनेट किया है जिसे पीपीटी द्वारा पीपीएल के साथ बांटा गया था। प्रस्ताव दिनांक 10 मई 2011 पर पीपीएल द्वारा की गई टिप्पणियों की संवीक्षा करने के बाद, पीपीटी ने दावा किया है कि पत्तन के 10 मई 2011 के प्रस्ताव पर पीपीएल द्वारा की गई टिप्पणियों का दिनांक 10 मई 2011 के प्रस्ताव में शामिल प्रशुल्क पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। तदनुसार, पीपीटी ने शुरू में जुलाई 2011 में इस प्राधिकरण को अपना प्रस्ताव 10 मई 2011 दाखिल किया था। इसी बीच, हमारी सलाह पर दोनों पार्टियों ने एक संयुक्त बैठक की थी और संदर्भित प्रस्ताव में प्रस्ताव के मामले में भिन्नताओं को कम किया था, जिसे 15 जुलाई 2011 को हुई उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त में दर्शाया गया है। परस्पर सहमत मुद्दों के आधार पर, पीपीटी ने लागत विवरण संशोधित किए हैं और अपने पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2011 के कवर के अधीन इस प्राधिकरण को अग्रेषित किए थे। पीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2011 के कवर के अधीन संशोधित लागत विवरणों के साथ भेजे गए प्रस्ताव दिनांक 10 मई 2011 का यहां विश्लेषण किया गया है।

(ii). पीपीटी के प्रस्ताव दिनांक 10 मई 2011 के संदर्भ में, यह देखा गया है कि पीपीएल ने लागत विवरणों में आधार आंकड़े सत्यापित किए हैं। पीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2011 द्वारा भेजे गए लागत विवरणों में किए गए बदलाव एफबी–1 के लिए व्ययों के प्रभाजन के आधार के संदर्भ में ही है और प्रस्तावित दरों पर पहुंचने के लिए 10 मई 2011 के प्रस्ताव में दिए गए लागत विवरणों में पीपीटी द्वारा सुविचारित आधार आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह स्वीकार करते हुए कि पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2011 ने परस्पर सहमत मुद्दों पर आधारित इमनेट किया है और विचार करते हुए कि पीपीएल ने 10 मई 2011 के प्रस्ताव में दिए गए आंकड़ों का सत्यापन किया है, हमने आधार आंकड़ों जैसे 31 मार्च 1986 को केपिटल निकर्षण की डब्ल्यूडीवी और एफबी–1 की पूंजी लागत, सभी प्रासंगिक वर्षों के लिए पोत संबंधित गतिविधि और पोत संबंधित गतिविधि के लिए फार्म–5 में पीपीटी द्वारा प्रतिवेदित आंकड़े, पत्तन तथा एफबी–1 के लिए वास्तविक यातायात और पत्तन तथा एफबी–1 के लिए पोतों के जीआरटी पर विश्वास किया गया था। अतः यह कार्यवाही प्रशुल्क आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 में दिए गए सिद्धांतों और कार्यपद्धति के अनुपालन की जांच करने तक सीमित है और पीपीटी तथा पीपीएल द्वारा निर्णय के लिए इस प्राधिकरण समक्ष लाए गए मुद्दों का संबोधित करना है।

(iii). प्रशुल्क आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 में दिए गए सिद्धांतों का पीपीटी द्वारा किए गए अनुपालन पर नीचे चर्चा की गई है:

(क). आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 में की गई टिप्पणियों के अनुसार, पीपीटी का प्रस्ताव वर्ष 1999–2000 से 2009–10 के दौरान एफबी–1 में प्रहस्तित वास्तविक यातायात के आधार पर देखा जा सकता है।

(ख). पीपीटी ने आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 में की गई टिप्पणी के अनुपालन में, एफबी–1 में संपदा गतिविधि से राजस्व घाटे का भाग आबंटित नहीं किया है।

उपर्युक्त प्रशुल्क आदेश के अनुसार, स्टाफ क्वार्टर्स पर व्यय सामान्यतः प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्ययों का भाग होना चाहिए। यदि, स्टाफ क्वार्टर्स पर व्यय प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्ययों का भाग नहीं था तो पत्तन को स्टाफ क्वार्टरों पर निवल व्यय परिमाणित करना था और प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों के अधीन इसे शामिल करना था। एफबी–1 के लिए आबंटित किया जाना वाला हिस्सा अन्य प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्ययों के लिए निर्धारित आधार का अनुसरण करेगा। पीपीटी ने इस प्रस्ताव में स्टाफ क्वाटरों पर व्यय अलग से नहीं बताया है। अतः यह लिया गया है कि पत्तन ने प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्ययों के अधीन इस व्यय पर विचार किया है।

(ग). आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 में यथा प्रतिवेदित, रेलवे गतिविधि के साथ जुड़े व्यय एफबी–1 के लिए आबंटनीय उपरिव्यय रूप में नहीं माना जा सकता। इस स्थिति का अनुसरण करते हुए, पीपीटी ने एफबी–1 के लिए आबंटनीय प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों में रेलवे गतिविधि से जुड़े व्ययों पर विचार नहीं किया है।

(घ). आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 संयुक्त परिसंपत्तियों जैसे प्रशासनिक कार्यालय, भवन आदि की पहचान के लिए है जिसके बारे में मूल्यह्रास प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्ययों के अधीन शामिल किया गया है। यह विभिन्न गतिविधियों और उसके बाद एफबी–1 में ऐसे संयुक्त परिसंपत्तियों के रिटर्न डाउन वैल्यू (डब्ल्यूडीवी) का प्रभाजन करने की कार्यपद्धति भी निर्धारित करता है। पीपीएल ने पीपीटी द्वारा सुविचारित संयुक्त परिसंपत्तियों के मूल्य और एफबी–1 में ऐसी संयुक्त परिसंपत्तियों के प्रभाजन में पत्तन द्वारा अंगीकृत कार्यपद्धति पर आपत्ति उठाई थी। इस संबंध में पीपीटी द्वारा अंगीकृत कार्यपद्धति और उनपर पीपीएल की आपत्तियों पर अनुवर्ती अनुच्छेद में चर्चा की गई है।

(iv). पीपीटी द्वारा अंगीकृत कार्यपद्धति के सापेक्ष लागत मदों के आबंटन/प्रभाजन के लिए इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्यपद्धति पर नीचे चर्चा की गई है:

क. बर्थ किराये का परिकलनः

(i) एफबी–1 की पूंजी लागत और एफबी–1 के समीप केपिटल निकर्षण लागतः

एफबी–1 की पूंजी लागत के संबंध में, पत्तन ने नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ परिकलन के प्रयोजन के लिए तत्संबंधी वितीय वर्षों की समाप्ति पर बर्थ के डब्ल्यूडीवी पर विचार किया है, जो सही पाया गया है।

केपिटल निकर्षण की लागत के संबंध में, आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 विनिर्दिष्ट करता है कि बर्थ एफबी–1 के समीप निकर्षण के लिए किया गया व्यय ही सुविचारित किया जाना चाहिए और ऐसे व्यय प्रत्येक बर्थ पर निकर्षित सिल्ट की मात्रा के आधार पर बर्थों के बीच बांटा जाना चाहिए।

पीपीटी ने एफबी–1 में प्रभाजन के लिए 31 मार्च 1986 को केपिटल निकर्षण की लागत पर विचार किया है। यह प्रभाजन प्रासंगिक समय पर मौजूदा बर्थों की संख्या के आधार पर किया गया है। एफबी–1 में यथा प्रभाजित केपिटल निकर्षण लागत को 31 मार्च 1986 को बर्थ की पूंजी लागत में जोड़ा गया है और 1986–87 से 1999–2000 तक 14 वर्षों के लिए विधिवत् मूल्यह्रास के बाद, वर्ष 1999–2000 से मूल्यह्रास तथा प्रतिलाभ की गणना के प्रयोजन के लिए सुविचारित किया है। बर्थों की लंबाई के आधार पर केपिटल निकर्षण लागत बांटने के लिए पीपीटी द्वारा की गई अपील, अभिलेखों के अभाव में, और भविष्य में बर्थों पर निकर्षित सिल्ट के ब्योरे बनाए रखने के लिए पीपीटी द्वारा खारिज किया गया है। पीपीटी और पीपीएल दोनों ने इस प्राधिकरण द्वारा निर्णय के लिए मामले को छोड़ दिया है।

पीपीटी की टिप्पणियों पर अभ्युक्तियां आफर करते समय, पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 10 मई 2011 में कहा है कि केपिटल निकर्षण व्यय चैनल, जो सभी बर्थों के लिए समान है, के लिए व्यय किया गया था और इसलिए तदनुसार एफबी–1 में प्रभाजित किया गया है। पत्तन से यह ज्ञात हुआ है कि एफबी–1 के मामले में समीपवर्ती निकर्षण के की पूंजी लागत एफबी–1 की पूंजी लागत में पहले ही शामिल की गई है।

इस प्राधिकरण ने पहले ही स्पष्ट किया है कि चैनल निकर्षण की लागत पत्तन देयताओं तथा पाइलटेज के द्वारा वसूल की गई है और बर्थ के समीप किए गए व्यय को बर्थ किराया प्रभारों के प्रयोजन के लिए ही सुविचारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, पीपीटी द्वारा एफबी–1 को प्रभाजित चैनल निकर्षण से संबंधित केपिटल निकर्षण व्यय नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार नहीं पाया गया है। अतः पीपीटी द्वारा सुविचारित एफबी–1 की कुल पूंजी लागत चैनल निकर्षण के लिए पीपीटी द्वारा किए गए केपिटल निकर्षण व्ययों को अलग करने के लिए संशोधित की गई है।

(ii). (क). जैसाकि पहले बताया गया है, प्रशुल्क आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 संयुक्त परिसंपत्तियों की पहचान करने और इसे प्रतिलाभ स्वीकृत करने के लिए एफबी–1 में प्रभाजन के लिए है। बर्थ किराया प्रभारों पर पहुंचने के लिए संयुक्त परिसंपत्तियों के प्रभाजन के संबंध में, उपर्युक्त आदेश तीन स्तरीय प्रभाजन निर्धारित करता है जैसा नीचे दिया गया हैः

(i). पत्तन की संयुक्त परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी पत्तन की परिसंपत्तियों के कुल सकल मूल्य में पोत संबंधित गतिविधि के अधीन परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के अनुपात पर पोत संबंधित गतिविधि के लिए पहले आबंटित किया जाना चाहिए।

(ii). पोत संबंधित गतिविधि में ऐसे प्रभाजित संयुक्त परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी पोत संबंधित गतिविधि के अधीन परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के लिए बर्थिंग गतिविधि के अधीन परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के अनुपात में सामान्य बर्थिंग गतिविधि में पुनः प्रभाजित किया जाना चाहिए।

(iii). सामान्य बर्थिंग गतिविधि में प्रभाजित संयुक्त परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी जीआरटी अनुपात, अर्थात एफबी–1 में प्रहस्तित पोतों के जीआरटी का अनुपात से समग्र पत्तन पर प्रहस्तित पोतों का कुल जीआरटी के आधार पर बर्थ एफबी–1 में दोबारा प्रभाजित किया जाए।

(ख). पीपीटी ने कार्गो प्रहस्तन गतिविधि, पोत संबंधित गतिविधि और संयुक्त परिसंपत्तियों के लिए समग्र पत्तन की परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के ब्योरे देते हुए पृथक विवरण भेजा था। पत्तन ने रेलवे गतिविधि तथा संपदा गतिविधि के लिए परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के विवरण नहीं भेजे हैं। पीपीटी द्वारा प्रेषित विवरणों की संवीक्षा पर, यह देखा गया है कि समग्र पत्तन की

परिसंपत्तियों के सकल मूल्य और कार्गो संबंधित गतिविधि, पोत संबंधित गतिविधि और संयुक्त परिसंपत्तियों के अधीन सुविचारित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य की राशि, रेलवे गतिविधि से संबंधित परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि पत्तन ने संपदा गतिविधि के साथ किसी परिसंपत्ति की पहचान नहीं की है। दूसरे शब्दों में, पत्तन की परिसंपत्तियों का कुल सकल मूल्य कार्गो, पोत तथा रेलवे गतिविधियों में आबंटित किया गया है और शेष संयुक्त परिसंपत्तियों के रूप में सुविचारित किया गया है। ऐसा लगता है कि पीपीटी ने इस प्रस्ताव के प्रयोजन के लिए 'संयुक्त परिसंपत्तियां' रूप में संपदा गतिविधि के अधीन परिसंपत्तियों के मूल्य पर विचार किया है। पत्तन को संपदा गतिविधि सहित सभी प्रमुख गतिविधियों द्वारा वहनित सीधी परिसंपत्तियों की पहचान करनी चाहिए और उसके बाद परिसंपत्तियां निर्धारित की जानी चाहिएं जो सभी गतिविधियों के लिए समान हैं, जिनका मूल्यह्रास प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्ययों के अधीन सुविचारित किया गया है। ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में ब्योरों के अभाव में जो प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्ययों के अधीन शामिल किया गया है, इस प्राधिकरण ने संयुक्त परिसंपत्तियों की पहचान से संबंधित मुद्दों को नहीं लिया है। इसलिए, और ब्योरों के अभाव में, पत्तन द्वारा पहचान की गई सामान्य परिसंपत्तियों पर इस विश्लेषण में विश्वास किया गया है, इस स्थिति के मद्देनजर कि पीपीटी का वर्तमान प्रस्ताव 1999–2000 से पिछले 11 वर्षों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु है, जो लम्बे समय से लंबित है। तथापि, पीपीटी को संयुक्त परिसंपत्तियों की पहचान करने की सलाह दी गई है, जिसके लिए मूल्यह्रास भावी वर्षों के लिए एफबी–1 पर प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रस्ताव तैयार करने में प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्ययों में सुविचारित किया गया है।

(ग). पत्तन द्वारा सुविचारित संयुक्त परिसंपत्तियों में भूमि का 100 प्रतिशत मूल्य, भवनों, शैडों तथा अन्य ढांचों के डब्ल्यूडीवी का 10 प्रतिशत और फर्नीचर एवं उपस्कर के डब्ल्यूडीवी का 100 प्रतिशत शामिल है।

पीपीएल ने भूमि के सम्पूर्ण मूल्य को संयुक्त परिसंपत्ति रूप में विचार करने पर आपत्ति उठाई है। पीपीएल का यह दावा कि रेलवे परिचालनों के लिए प्रयुक्त भूमि की लागत को एफबी–1 में प्रभाजित नहीं किया जा सकता जबकि पीपीटी ने कहा है कि रेलवे गतिविधि सहित वैयक्ति गतिविधि के लिए ही प्रयुक्त भूमि की सीमा के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं है। यह मुद्दा निर्णय के लिए इस प्राधिकरण पर छोड़ दिया गया है।

पीपीटी का बचाव पक्ष है कि पत्तन पर उपलब्ध भूमि सभी गतिविधियों के लिए प्रयोग की जाती है। तथापि, पत्तन ने मुख्य गतिविधियों के साथ सीधे अनिश्चित–योग्य भूमि के संबंध में ब्योरे नहीं भेजे हैं। पत्तन में ज्यादातर भूमि सीधे कार्गो प्रहस्तन गतिविधि और अन्य गतिविधियों जैसे पोत, रेलवे और संपदा गतिविधि की कुछ सीमा तक से संबंधित हो सकती है। अतः संयुक्त परिसंपत्ति के रूप में भूमि के संपूर्ण मूल्य का विचार सही दृष्टिकोण नहीं है।

संयुक्त परिसंपत्तियों की सूची में रेलवे गतिविधि से संबंधित भूमि शामिल करने के लिए पीपीएल द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करते हुए, रेलवे गतिविधि से संबंधित भूमि को अलग करने की जरूरत है। चूंकि पत्तन ने रेलवे गतिविधि के लिए प्रयुक्त भूमि का मूल्य और सीमा नहीं भेजी है, इसलिए यह प्राधिकरण कुछ आधार पर रेलवे गतिविधि के लिए प्रयुक्त भूमि के मूल्य का अनुमान नहीं लगा सकता। रेलवे गतिविधि से संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से समग्र पत्तन की परिसंपत्तियों के सकल मूल्य का अनुपात, विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रयुक्त भूमि की सीमा संबंधी ब्योरों के अभाव में, रेलवे गतिविधि के लिए प्रयुक्त भूमि के मूल्य का अनुमान लगाने के आधार के रूप में लिया गया है। पीपीटी द्वारा प्रेषित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के आधार पर, रेलवे परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से कुल परिसंपत्तियों के सकल मूल्य का अनुपात विचाराधीन सभी वर्षों के लिए परिगणित किया गया है, जो वर्ष 1999–2000 से 2009–10 के लिए 7.75 प्रतिशत से 9.47 प्रतिशत की सीमा के बीच है। प्रासंगिक वर्ष के लिए अनुपात प्रत्येक वर्ष के लिए रेलवे गतिविधि से संबंधित भूमि के मूल्य पर पहुंचने के लिए भूमि के कुल मूल्य पर लागू किया गया है और इसे पत्तन द्वारा सुविचारित भूमि के कुल मूल्य से अलग किया गया है। तथापि, पत्तन को सलाह दी गई है कि भूमि जो सामान्य सुविधाओं जैसे प्रशासनिक कार्यालय भवन, अस्पताल, स्टाफ क्वार्टर्स, संयुक्त सड़कें आदि जिनका मूल्यह्रास प्रबंधन तथा सामान्य उपरिव्ययों के अधीन लेखांकित किया गया है, भावी वर्षों के लिए एफबी–1 पर प्रशुल्क के निर्धारण के लिए इसके द्वारा

दाखिल किए जाने वाले प्रस्तावों में संयुक्त परिसंपत्ति के रूप में ही वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

(घ). टिप्पणी करते हुए कि पीपीटी द्वारा व्यवसाय परिसंपत्तियों के रूप में सभी परिसंपत्तियों का संव्यवहार उपयुक्त नहीं है, पीपीएल ने कहा है कि सामाजिक संबंधित गतिविधियों के लिए प्रयुक्त भूमि की लागत को एफबी–1 में प्रभाजित नहीं किया जाना चाहिए। पीपीटी का यह मामला है कि पत्तन सरकारी एजेंसी होने के नाते, इसकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं और जिसका बोझ सभी संबंधित द्वारा उठाया जाना चाहिए.।

तथापि, इस संबंध में पीपीटी पर प्रशुल्क के सामान्य संशोधन से संबंधित कार्यवाहियों के दौरान पीपीटी द्वारा प्रतिवेदित स्थिति जो प्रशुल्क आदेश दिनांक 25 मार्च 2011 में कल्मीनेट किया गया है, प्रकट होता है कि पीपीटी ने सामाजिक दायित्व परिसंपत्तियों के रूप में अपनी किसी परिसंपत्ति को वर्गीकृत नहीं किया था। इस स्थिति को स्वीकार करते हुए, भूमि के हिस्से को सामाजिक दायित्व परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने तथा इसे संयुक्त परिसंपत्तियों से अलग करने की आवश्यकता ही नहीं थी।

संयुक्त परिसंपत्तियों के अधीन पत्तन द्वारा सुविचारित भूमि का मूल्य ऊपर चर्चा किए गए अनुसार संशोधित किया गया हैं। पत्तन द्वारा प्रतिवेदित अन्य संयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्य बिना बदलाव के सुविचारित किया गया है।

पीपीटी ने समग्र पत्तन की परिसंपत्तियों के सकल प्रखंड में कार्गो तथा पोत संबंधित गतिविधियों सीधे वहन की जाने वाली परिसंपत्तियों के सकल प्रखंड के अनुपात भेजे हैं। इस स्थिति के मद्देनजर कि पत्तन ने संयुक्त परिसंपत्तियों को ठीक प्रकार से चिह्नित नहीं किया है, कार्गो तथा पत्तन संबंधित गतिविधियों के अधीन पत्तन द्वारा प्रतिवेदित परिसंपत्तियों का सकल मूल्य भी संशोधन की मांग करता है, जो बाद में, पत्तन द्वारा प्रेषित समग्र पत्तन की परिसंपत्तियों के सकल प्रखंड में कार्गो प्रहस्तन और पोत संबंधित गतिविधियों के लिए परिसंपत्तियों के सकल प्रखंड के अनुपातों में प्रभाव पड़ सकता है।

विचार करते हुए कि इस लेखा पर प्रभाव केवल मामूली हो सकता है, पत्तन द्वारा यथा प्रेषित अनुपातों पर विश्वास किया गया है। संयुक्त परिसंपत्तियों का संशोधित मूल्य पत्तन द्वारा प्रेषित अनुपातों के आधार पर कार्गो तथा पोत संबंधित गतिविधियों में प्रभाजन के प्रथम स्तर रूप में प्रभाजित किया गया है।

(ङ). पीपीटी ने प्रभाजन की दूसरी अवस्था के लिए इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्यपद्धति का अनुसरण किया है। इसके बजाय, पत्तन ने जीआरटी अनुपात के आधार पर, सामान्य बर्थिंग गतिविधि में सामान्य परिसंपत्तियों के प्रभाजन का अंर्तसंबंधित कदम छोड़ते हुए सीधे एफबी–1 में पोत संबंधित गतिविधि के अधीन सामान्य परिसंपत्तियों को प्रभाजित किया है। यह नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित कार्यपद्धति से महत्वपूर्ण विपथन है। पत्तन द्वारा अंगीकृत कार्यपद्धति का अर्थ है कि पोत संबंधित गतिविधि पोत की प्रासंगिक संपूर्ण सामान्य परिसंपत्तियां पोत संबंधित गतिविधि अर्थात पत्तन देयताएं, पाइलटेज तथा टोवेज आदि के अधीन अन्य उप–गतिविधियों में देय भागीदारी को प्रभाजित किए बिना केवल बर्थिंग गतिविधि द्वारा वहन की जानी है। चूंकि पत्तन एफबी–1 में आने वाले पोतों के लिए अलग से एफबी–1 के परिचालक से पत्तन देयताएं तथा पाइलटेज तथा टोवेज वसूल करता है, बर्थिंग गतिविधि (और उसके बाद एफबी–1 में) के अधीन पोत संबंधित गतिविधि से संबंधित सभी सामान्य परिसंपत्तियों का लेखांकन सामान्य परिसंपत्तियों की दोगुनी गणना करता है और उसपर प्रतिलाभ जो सही नहीं है। इसलिए, यह जरूरी है कि एफबी–1 में प्रभाजन करने से पहले बर्थिंग उप–गतिविधि में पहले पोत गतिविधि की सामान्य परिसंपत्तियों का प्रभाजन करना जरूरी है।

नवम्बर 2010 के आदेश में यथा निर्धारित, पोत संबंधित गतिविधि में प्रभाजित सामान्य परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी पोत संबंधित गतिविधि की परिसंपत्तियों के सकल मूल्य में बर्थिंग गतिविधि के सकल परिसंपत्ति मूल्य के अनुपात में सामान्य बर्थिंग गतिविधि में प्रभाजित किया जाना है। हालांकि पोत संबंधित गतिविधि की परिसंपत्तियों का सकल मूल्य उपलब्ध करवाया गया है, परन्तु बर्थिंग उप–गतिविधि के अधीन परिसंपत्तियों का सकल मूल्य पत्तन द्वारा नहीं भेजा गया है। इसलिए, यह संभव नहीं पाया गया है कि नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित

कार्यपद्धति का अनुसरण करते हुए बर्थिंग उप–गतिविधि में सामान्य परिसंपत्तियों के डब्लयूडीवी का प्रभाजन किया जाए।

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, पोत संबंधित गतिविधि के अधीन सामान्य परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी पोत संबंधित गतिवधियों के अधीन तीन प्रमुख उप–गतिविधियों अर्थात पत्तन देयताएं, पाइलटेज तथा टोवेज तथा बर्थ किराया के समकक्ष तदर्थ आधार पर बराबर–बराबर प्रभाजित किया गया है। तदनुसार, पोत संबंधित गतिविधि के अधीन सामान्य परिसंपत्तियों के डब्ल्यूडीवी का एक–तिहाई बर्थिंग गतिविधि में प्रभाजित किया गया है। यह स्वीकार करना होगा कि यह दृष्टिकोण इस दीर्घ लंबित मामले का निपटान करने के लिए तदर्थ आधार पर अंगीकृत किया गया है और नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित आबंटन की पद्धति का अतिक्रमण करने के लिए सुविचारित निण्रय के रूप में बाधक नहीं बनाया जाना चाहिए। पत्तन को भविष्य अवधि के लिए निर्धारित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए।

बर्थिंग गतिविधि में ऐसे प्रभाजित सामान्य परिसंपत्तियों का डब्लयूडीवी नवम्बर 2010 के आदेश में यथा निर्धारित जीआरटी अनुपात के आधार पर एफबी–1 में दोबारा प्रभाजित किया गया है।

(iii). पीपीटी ने नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित आरओसीईई दरों पर प्रासंगिक वर्षों के लिए एफबी–1 में प्रभाजित सामान्य परिसंपत्तियों सहित एफबी–1 की पूंजी लागत पर प्रतिलाभ परिकलित किया है। पत्तन द्वारा परिकलित आरओसीईई एफबी–1 की संशोधित पूंजी लागत के अनुसार संशोधित की गई है।

(iv). पीपीटी ने बर्थ सं. एफबी–1 की पूंजी लागत और पत्तन द्वारा अपने लेखा बहियों में यथा अंगीकृत केपिटल निकर्षण की लागत, जोकि प्रशुल्क आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 में निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार है, पर मूल्यह्रास की दर पर विचार किया है। तथापि, पत्तन द्वारा सुविचारित वार्षिक मूल्यह्रास एफबी–1 की संशोधित पूंजी लागत के अनुसार है, जो केपिटल निकर्षण लागत को अलग करता है, जैसा पूर्ववर्ती अनुच्छेद में पहले ही चर्चा की गई है।

(v). एफबी–1 के लिए वार्षिक अनुरक्षण निकर्षण व्ययों को प्रभाजित करने के लिए नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित कार्यपद्धति केपिटल निकर्षण लागत प्रभाजित करने के लिए निर्धारित समान सिद्धांतों का अनुसरण करती है। बर्थो के समीप निकर्षण से संबंधित अनुरक्षण निकर्षण लागत तत्संबंधी बर्थों के समीप निकर्षित सिल्ट की मात्रा के आधार पर बर्थों के बीच प्रभाजित की जानी चाहिए।

पीपीटी ने प्रासंगिक वर्षों के दौरान पत्तन पर मौजूदा बर्थों की संख्या के आधार पर अनुरक्षण निकर्षण लागत भी प्रभाजित की है। इसने बताया है कि किए गए व्यय चैनल एवं बर्थों दोनों के लिए हैं और निकर्षित सिल्ट की मात्रा, बर्थ–वार, उपलब्ध नहीं है। पीपीएल ने बर्थों की संख्या के आधार पर अनुरक्षण निकर्षण लागत का प्रभाजन करने के लिए पीपीटी द्वारा अंगीकृत कार्यपद्धति पर आपत्ति उठाई है। कम से कम बर्थों की लंबाई के आधार पर अनुरक्षण निकर्षण लागत प्रभाजन करने के लिए पीपीएल का सुझाव पीपीटी द्वारा यह उद्धरित करते हुए खारिज कर दिया गया है कि बर्थों के बीच स्पष्ट डिमारकेशन मौजूद नहीं थी। दोनों पक्षों ने अंततः इस मुद्दे को इस प्राधिकरण द्वारा निर्णय के लिए छोड़ दिया है।

चूंकि नवम्बर 2010 का आदेश विनिर्दिष्ट करता है कि केवल बर्थ के समीप निकर्षण के लिए किए गए अनुरक्षण निकर्षण व्ययों पर विचार किया जाना चाहिए, इसलिए यह जरूरी है कि चैनल के निकर्षण के लिए किए गए व्ययों को अलग करने की जरूरत है। चूंकि पीपीटी ने चैनल और बर्थों के लिए अलग–अलग किए गए अनुरक्षण निकर्षण की लागत के लिए ब्रेकअप नहीं भेजा है, इसलिए पीपीटी का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन उल्लिखित किया गया है। प्रशासन प्रतिवेदन में दी गई बर्थों की लम्बाई और चैनल की लम्बाई के आधार पर, चैनल से संबंधित अनुरक्षण निकर्षण लागत यथानुपात आधार पर परिकलित की गई है और कुल वार्षिक अनुरक्षण निकर्षण लागत से अलग किया गया है।

जैसाकि पहले बताया गया है, पीपीटी ने बर्थों की संख्या के आधार पर अनुरक्षण निकर्षण लागत प्रभाजित की है। दूसरी तरफ पीपीएल ने निकर्षित सिल्ट की मात्रा के अभाव में लागत के प्रभाजन के लिए बर्थों की लम्बाई पर ही विचार करने का अनुरोध किया था। चूंकि संदर्भित मामला 1999–2000 से पिछले वर्षों से संबंधित है, इसलिए पीपीटी की स्थिति कि बर्थ–वार निकर्षित सिल्ट के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उसी समय, प्रभाजन के लिए पैरामीटर के रूप में बर्थों की लंबाई पर विचार करने के लिए पीपीएल का सुझाव पीपीटी द्वारा अंगीकृत बर्थों की संख्या की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में जहां पीपीटी में सभी बर्थों की लंबाई एकसमान नहीं हैं, जैसा इसके प्रशासन प्रतिवेदन से देखा गया है। बर्थ–वार निकर्षित सिल्ट की मात्रा के ब्योरों के अभाव में, एफबी–1 के लिए प्रासंगिक अनुरक्षण निकर्षण लागत पीपीटी में सभी बर्थों की लम्बाई और

सभी बर्थों के लिए प्रोद्भूत वार्षिक अनुरक्षण निकर्षण पर विचार करते हुए परिकलित किया गया है, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया हैः

(क). पत्तन की कुल अनुरक्षण लागत पहले चैनल की लम्बाई तथा सभी बर्थों की कुल लम्बाई के आधार पर चैनल तथा बर्थों के बीच विकेंद्रित किया गया है, जैसाकि पहले उल्लिखित किया गया है।

(ख). बर्थों से संबंधित अनुरक्षण निकर्षण लागत का भाग बर्थ एफबी–1 की लम्बाई से पत्तन पर सभी बर्थों की कुल लम्बाई के अनुपात के आधार पर एफबी–1 में पुनः प्रभाजित किया गया है।

भविष्य में, बर्थ–वार, निकर्षित सिल्ट की मात्रा बनाए रखने के लिए पीपीएल के अनुरोध के संबंध में, पीपीटी ने भविष्य में भी ऐसे अभिलेख बनाए रखने में अपनी मुश्किल अभिव्यक्त की थी और दोनों पार्टियों ने इस प्राधिकरण द्वारा निर्णय` लिए इस मुद्दे को छोड़ दिया है।

प्रशुल्क आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 के अनुसार, पीपीटी से अपेक्षा की गई है कि पीपीएल गतिविधि से संबंधित वास्तविक आंकड़ों के आधार पर और ऊपर निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दरों के निर्धारण के लिए हर वर्ष प्रस्ताव दाखिल किया जाए। इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्यपद्धति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनुरक्षण निकर्षण लागत तत्संबंधी बर्थों के समीप निकर्षित सिल्ट की मात्रा के आधार पर बर्थों के बीच प्रभाजित किया जाना चाहिए। अतः पीपीटी को सलाह दी जाती है कि भविष्य वर्षों के लिए एफबी–1 पर प्रशुल्क के निर्धारण के लिए दाखिल किए जाने वाले इसके प्रस्तावों में निकर्षित सिल्ट के आधार पर ही एफबी–1 में अनुरक्षण निकर्षण लागत प्रभाजित की जाए।

(vi). प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों के प्रभाजन के संबंध में, नवम्बर 2010 का आदेश विनिर्दिष्ट करता है कि पत्तन के सामान्य प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों को पहले महापत्तन न्यासों द्वारा प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव दाखिल करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूपों के फार्म–5 में निर्धारित आधार का अनुसरण करते हुए पोत संबंधित गतिविधि में प्रभाजित किया जाना चाहिए। पोत संबंधित गतिविधि में ऐसे प्रभाजित सामान्य व्यय प्रारूपों के फार्म–5 में निर्धारित आधार का दोबारा अनुसरण करते हुए सामान्य बर्थिंग गतिविधि में पुनः प्रभाजन किया जाना चाहिए। सामान्य बर्थिंग गतिविधि से संबंधित सामान्य व्ययों को जीआरटी अनुपात के आधार पर बर्थ एफबी–1 में प्रभाजित किया जाना चाहिए।

पीपीटी ने पत्तन की मुख्य गतिविधियों में पत्तन के सामान्य व्ययों के प्रभाजन के आधार वाले गणना पत्रकों से समर्थित सभी वर्षों के लिए पोत संबंधित गतिविधि और कार्गो संबंधित गतिविधि के लिए फार्म–5 भेजा है। पीपीटी ने पुष्टि की है कि सामान्य प्रबंधन तथा सामान्य व्यय फार्म–5 में दिए गए निर्देशों के अनुसार विपथित अनुपात के आधार पर मुख्य गतिविधियों में प्रभाजित किए गए हैं। पीपीटी द्वारा प्रतिवेदित स्थिति पर विश्वास करते हुए, फार्म–5 में पीपीटी द्वारा भेजे गए प्रबंधन तथा सामान्य व्यय इस विश्लेषण में सुविचारित किए गए हैं, सिवाय वर्ष 2008–09 के मामले में पीपीएल द्वारा उल्लिखित लघु त्रुटि का सुधार।

प्रभाजन की दूसरी अवस्था के मामले में, पीपीटी ने फार्म–5 के अनुसार पोत संबंधित गतिविधि से सामान्य बर्थिंग गतिविधि से संबंधित प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों के प्रभाजन के लिए नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित कार्यपद्धति का अनुसरण नहीं किया है, जोकि इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्यपद्धति से विपथन है। इसकी बजाय, पत्तन ने जीआरटी अनुपात, प्रभाजन की दूसरी अवस्था को छोड़ने के आधार पर एफबी–1 में सीधे पोत संबंधित गतिविधि से संबंधित व्ययों को पुनः प्रभाजित किया है। यह नवम्बर 2010 के इसके आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्यपद्धति से महत्वपूर्ण विपथन है। पत्तन द्वारा अंगीकृत कार्यपद्धति इस बोझ को पोत संबंधित गतिविधि के लिए प्रासंगिक सम्पूर्ण प्रबंधन तथा सामान्य व्यय पोत संबंधित गतिविधि के अधीन अन्य उप–गतिविधि अर्थात पत्तन देयताएं, पाइलटेज तथा टोवेज आदि में देय हिस्सेदारी का प्रभाजन किए बिना बर्थिंग उप–गतिविधि पर डाला गया है। चूंकि पत्तन एफबी–1 में आने वाले पोतों के लिए एफबी–1 के परिचालक से अलग–से पत्तन देयताएं और पाइलटेज तथा टोवेज वसूल करता है, इसलिए बर्थिंग गतिविधि (और उसके बाद एफबी–1 में) के अधीन पोत संबंधित गतिविधि से संबंधित सभी प्रबंधन तथा साामान्य व्ययों के लेखांकन ऐसे व्ययों के भाग की गणना पर दोगुना प्रभाव पड़ता है जोकि सही नहीं है। अतः यह जरूरी है कि एफबी–1 में प्रभाजन करने से पहले बर्थिंग उप–गतिविधि में पहले पोत गतिविधि के प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों का प्रभाजन किया जाए।

नवम्बर 2010 के आदेश में यथा निर्धारित, पोत संबंधित गतिविधि से संबंधित आबंटनीय प्रबंधन तथा सामान्य व्यय फार्म–5 में निर्धारित कार्यपद्धति का अनुसरण करते हुए सामान्य बर्थिंग गतिविधि में पुनः प्रभाजित किया जाना चाहिए। चूंकि फार्म–5 के अनुसार उप–गतिविधियों में व्ययों के प्रभाजन के लिए अपेक्षित ब्योरे पत्तन द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, इसलिए फार्म–5 में निर्धारित कार्यपद्धति का अनुसरण करते हुए बर्थिंग उप–गतिविधि में ऐसे व्ययों का प्रभाजन करना संभव नहीं पाया गया है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, पोत संबंधित गतिविधि के प्रबंधन तथा सामान्य व्यय फार्म–5 में यथा प्रतिवेदित प्रशासन व्ययों के अलावा पोत संबंधित गतिविधि के कुल परिचालन व्ययों में बर्थिंग गतिविधि, बर्थिंग उप–गतिविधि में प्रभाजित अनुरक्षण निकर्षण लागत सहित, के परिचालन व्ययों के अनुपात में बर्थिंग उप–गतिविधि में प्रभाजित किया गया है। यह स्वीकार करना होगा कि इस दीर्घ लंबित मामले का निपटान करने के लिए इस दृष्टिकोण को तदर्थ आधार पर अंगीकृत किया गया है और नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित आबंटन की पद्धति को अधिक्रमित करने के सुविचारित निर्णय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पत्तन को भावी अवधि के लिए निर्धारित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए।

बर्थिंग उप–गतिविधि में ऐसे प्रभाजित प्रबंधन तथा साामन्य व्ययों को नवम्बर 2010 के आदेश में यथा निर्धारित जीआरटी अनुपात के आधार पर एफबी–1 में प्रभाजित किया गया है।

(vii). नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित ऋण पर ब्याज, समयोपरि व्यय, वीआरएस क्षतिपूर्ति आदि के अलावा वित्त एवं विविध व्ययों के प्रभाजन के लिए कार्यपद्धति प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों के प्रभाजन के लिए उस निर्धारित के समान है।

फार्म–5 में पीपीटी द्वारा प्रतिवेदित वित्त एवं विविध व्ययों में सेवानिवृत्ति लाभ, उपदान और कार्यनिष्पादन पुरस्कार शामिल हैं। पीपीटी ने वित्त एवं विविध व्ययों को पहले फार्म–5 के अनुसार पोत संबंधित गतिविधि में प्रभाजित किया गया है और पोत संबंधित गतिविधि में ऐसे प्रभाजित व्यय जीआरटी अनुपात, सामान्य बर्थिंग गतिविधि में प्रभाजन की दूसरी अवस्था को छोड़ते हुए, जैसा प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों के मामले में पत्तन द्वारा किया गया है, के आधार पर बर्थ एफबी–1 में सीधे प्रभाजित किया गया है। पीपीटी ने पुष्टि की है कि मुख्य गतिविधियों में वित्त एवं विविध व्ययों के प्रभाजन का अनुपात फार्म–5 में दिए गए निर्देशों के अनुसार विपथित किया गया है।

जैसाकि उपर्युक्त पैरा से देखा जा सकता है, पीपीटी ने वित्त एवं विविध व्ययों के मामले में भी प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों के प्रभाजन के लिए उसके द्वारा अनुसरित इसी दृष्टिकोण को अंगीकृत किया है। प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों पर चर्चाओं में उल्लिखित कारणों से, एफबी–1 में वित्त एवं विविध व्ययों के प्रभाजन के लिए पीपीटी द्वारा अंगीकृत कार्यपद्धति में संशोधन किए जाने की जरूरत है।

जैसाकि प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों के मामले में किया गया है, पोत संबंधित गतिविधि में प्रभाजित वित्त एवं विविध व्यय फार्म–5 में यथा प्रतिवेदित पोत संबंधित गतिविधि के परिचालन व्ययों में बर्थिंग उप–गतिविधि के परिचालन व्ययों के अनुपात में बर्थिंग उप–गतिविधि में पुनः प्रभाजित किया गया है।

बर्थिंग उप–गतिविधि में ऐसे प्रभाजित वित्त एवं विविध व्यय नवम्बर 2010 के आदेश में यथा निर्धारित जीआरटी अनुपात के आधार पर एफबी–1 में दोबारा प्रभाजित किया गया है।

(viii). उपर्युक्त चर्चाओं के अधीन, वर्ष 1999–2000 से 2009–10 के लिए बर्थ एफबी–1 के लिए पीपीएल द्वारा पीपीटी को देय बर्थ किराया प्रभारों के निर्धारण के लिए पीपीटी द्वारा भेजा गया लागत विवरण संशोधित किया गया है और **अनुलग्नक–I** रूप में संलग्न किया गया है।

ख. **कार्गो प्रहस्तन के लिए घाटशुल्क प्रभारों का परिकलनः**

(i) प्रहस्तन प्रभारों के निर्धारण के लिए नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार, प्रबंधन तथा सामान्य व्यय एवं वित्त तथा विविध व्यय महापत्तनों पर प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के लिए निर्धारित लागत विवरण प्रारूपों के फार्म–5 के अनुसार कार्गो संबंधित गतिविधि में प्रभाजित किया जाए। कार्गो संबंधित गतिविधि में ऐसे प्रभाजित किए गए व्ययों को टनभार अनुपात अर्थात पत्तन पर प्रहस्तित कुल यातायात में पीपीएल द्वारा बर्थ एफबी–1 पर प्रहस्तित यातायात का अनुपात पर बर्थ एफबी–1 पर प्रहस्तित कार्गो में प्रभाजित किया जाना चाहिए।

पीपीटी ने एफबी–1 में प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों और वित्त एवं विविध व्ययों के प्रभाजन के लिए नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित कार्यपद्धति अंगीकृत की है। पीपीटी ने भी पुष्टि की है कि ये व्यय

फार्म–5 में दिए गए निर्देशों के अनुसार विपथित अनुपात के आधार पर (मुख्य गतिविधियों में) प्रभाजित किया गया है। अतः एफबी–1 में प्रभाजित प्रबंधन तथा सामान्य व्यय और वित्त एवं विविध व्यय, पीपीटी द्वारा यथा प्रेषित, सुविचारित किए गए हैं।

(ii). कार्गो संबंधित गतिविधि और पोत संबंधित गतिविधि में सामान्य परिसंपत्तियों के प्रभाजन पर पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। वहां पर उल्लिखित कारणों से, सामान्य परिसंपत्तियों का संशोधित डब्ल्यूडीवी नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार कार्गो संबंधित गतिविधि में प्रभाजन के लिए सुविचारित किया गया है। वर्ष 2000–01 में कार्गो प्रहस्तन गतिविधि में प्रभाजित सामान्य परिसंपत्तियों के मूल्य में पीपीएल द्वारा उल्लिखित गणना त्रुटि और बाद में पीपीटी द्वारा स्वीकृत, परन्तु पीपीटी के लागत विवरण में अनुसमर्थन नहीं किए गए, भी हमारे द्वारा अनुसमर्थन किया गया है।

कार्गो संबंधित गतिविधि में प्रभाजित सामान्य परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारितएवं पत्तन द्वारा अंगीकृत कार्यपद्धति के अनुसार, टनभार अनुपात के आधार पर एफबी–1 में एफबी–1 पर प्रहस्तित कार्गो में पुनःप्रभाजित किया गया है।

पीपीटी ने नवम्बर 2010 के आदेश में निर्धारित आरओसीईई दरों पर बर्थ एफबी–1 में कार्गो प्रहस्तन गतिविधि के लिए प्रभाजित सामान्य परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ परिकलित किया है। पत्तन द्वारा प्रेषित आरओसीईई एफबी–1 में प्रभाजिहत सामान्य परिसंपत्तियों के संशोधित डब्ल्यूडीवी के अनुसार संशोधित किया गया है।

(iii). उपर्युक्त चर्चाओं के अधीन, पीपीटी द्वारा प्रेषित वर्ष 1999–2000 से 2009–10 के लिए पीपीएल द्वारा पीपीटी को देय घाटशुल्क के निर्धारण के लिए लागत विवरण संशोधित किया गया है और **अनुलग्नक–II** रूप में संलग्न किया गया है।

(v). पीपीटी द्वारा प्रस्तावित कार्गो प्रहस्तन के लिए घाटशुल्क प्रभार और संशोधित दरें तुलनीय हैं। बर्थ किराया प्रभारों के मामले में, विचाराधीन सभी वर्षों के लिए संशोधित दरें पीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों की अपेक्षा कम हैं। इस संबंध में, यह देखा जाना चाहिए कि पीपीटी ने बर्थिंग उप–गतिविधि के लिए प्रासंगिक निकर्षण लागत पर विचार करने की बजाय एफबी–1 में प्रभाजन के लिए चैनल हेतु अनुरक्षण निकर्षण सहित पोत संबंधित गतिविधि के सम्पूर्ण अनुरक्षण निकर्षण व्ययों पर विचार किया है। इसी तरह, पत्तन ने केवल बर्थिंग की उप–गतिविधि से संबंधित लागत की उक्त मदों पर विचार करने की बजाय सीधे एफबी–1 में प्रबंधन तथा सामान्य व्ययों, वित्त और विविध व्ययों और पोत संबंधित गतिविधि से संबंधित सामान्य परिसंपत्तियों पर विचार किया है। इसके अलावा, पीपीटी ने एफबी–1 की पूंजी लागत निर्धारित करने के लिए चैनल से एफबी–1 की केपिटल निकर्षण लागत प्रभाजित की है। पहले उल्लिखित कारणों से, हम एफबी–1 की पूंजी लागत में चैनल की केपिटल निकर्षण लागत पर विचार नहीं कर सके थे। इस प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 में इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सिद्धांतों/कार्यपद्धति से पीपीटी के प्रस्ताव में दिए गए उपर्युक्त विपथनों के मद्देनजर, हमारे द्वारा यथा निर्धारित बर्थ किराया प्रभार पत्तन द्वारा प्रस्तावित बर्थ किराया प्रभारों से कम हैं।

7. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण वर्ष 1999–2000 से 2009–10 के दौरान एफबी–1 पर प्रहस्तित कार्गो और एफबी–1 में बर्थ किए गए पोतों के लिए मासिक निर्धारित बर्थ किराया प्रभार के लिए निम्नलिखित घाटशुल्क प्रभार अनुमोदित करता है।

वर्ष	घाटशुल्क प्रभार (रु0 प्रति टन)	निर्धारित बर्थ किराया प्रभार (रु0 लाखों में प्रति माह)
1999-00	19.25	58.60
2000-01	13.58	59.58
2001-02	20.96	47.63
2002-03	18.82	45.59
2003-04	15.83	47.92
2004-05	31.38	52.49
2005-06	25.35	52.85
2006-07	19.19	47.84
2007-08	15.48	47.32
2008-09	16.51	52.54
2009-10	18.82	61.20

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

अनुलग्नक-I

बर्थ सं. एफबी–1 के लिए पारादीप पत्तन न्यास को पारादीप फास्फेट लिमिटेड द्वारा देय बर्थ किराया प्रभारों का परिकलन

(रु0 लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
I	परिचालन लागत											
(क).	बर्थ एफबी–1 का मूल्यह्रास (टिप्पणी–2)	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54
(ख).	बर्थ एफबी–1 का मूल्यह्रास (टिप्पणी–3)	150.55	258.03	149.87	127.40	130.06	183.53	220.64	200.28	189.98	262.48	293.01
(ग).	अनुरक्षण निकर्षण लागत (टिप्पणी–4)	108.36	47.29	26.65	48.92	74.82	46.73	58.06	47.54	66.11	62.59	129.63
(घ).	प्रभाजित प्रबंधन तथा प्रशासन व्यय (टिप्पणी–5)	38.03	19.75	11.70	10.63	15.19	67.59	70.89	46.44	20.18	18.95	30.14
	उप जोड़ (क) से (घ)	**327.48**	**355.61**	**218.76**	**217.50**	**250.61**	**328.39**	**380.13**	**324.80**	**306.82**	**374.57**	**483.31**
II	**नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ**											
(क).	एफबी–1–डब्ल्यूडीवी की पूंजी लागत (टिप्पणी–1)	1868.79	1838.24	1807.70	1777.16	1746.62	1716.08	1685.54	1654.99	1624.45	1593.91	1563.37
(ख).	एफबी–1 में प्रभाजित सामान्य परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी (टिप्पणी–6)	9.98	4.73	1.81	4.23	6.87	6.92	8.30	7.16	6.65	5.36	5.88
(ग).	कुल पूंजी लागत (क) + (ख)	1878.77	1842.97	1809.51	1781.39	1753.49	1723.00	1693.84	1662.15	1631.10	1599.27	1569.25
(घ).	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की लागू दर	20%	19.5%	19.5%	18.5%	18.5%	17.5%	15.0%	15.0%	16.0%	16.0%	16.0%
(ङ).	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	**375.75**	**359.38**	**352.85**	**329.56**	**324.40**	**301.52**	**254.08**	**249.32**	**260.98**	**255.88**	**251.08**
III	**कुल वार्षिक लागत जमा प्रतिलाभ (I) + (II)**	**703.23**	**714.99**	**571.61**	**547.06**	**575.00**	**629.91**	**634.20**	**574.13**	**567.79**	**630.45**	**734.39**
IV	**मासिक निश्चित बर्थ किराया प्रभार (क्र.सं. III/12)**	**58.60**	**59.58**	**47.63**	**45.59**	**47.92**	**52.49**	**52.85**	**47.84**	**47.32**	**52.54**	**61.20**

टिप्पणियांः

(रु0 लाखों में)

		पीपीटी	टीएएमपी	भिन्नता
(1).	**पूंजी लागतः**	पीपीटी	टीएएमपी	भिन्नता
	बर्थ की पूंजी लागत 31.3.86	2296.37	2296.37	0.00
	एफबी–1 में प्रभाजित केपिटल निकर्षण लागत	107.27	0.00	107.27
		2403.64	2296.37	107.27
(2).	**मूल्यह्रास**			
	वार्षिक मूल्यह्रास बर्थ लागत के 1.33 प्रतिशत की दर	30.54	30.54	0.00
	वार्षिक मूल्यह्रास निकर्षण लागत के 1 प्रतिशत की दर से	1.07	0.00	1.07
	कुल वार्षिक मूल्यह्रास	31.61	30.54	1.07
	डब्ल्यूडीवी 31.3.2000 के अनुसार (14 वर्ष)	1961.04	1868.79	

(रु0 लाखों में)

(3). अनुरक्षण निकर्षण	पीपीटी गणना के अनुसार			टीएएमपी गणना के अनुसार							भिन्नता
वर्ष	पत्तन की कुल अनुरक्षण निकर्षण लागत	बर्थों की सं.	एफबी–1 में प्रभाजित (बर्थों की सं. पर)	पत्तन की कुल अनुरक्षण निकर्षण लागत	चैनल की लम्बाई (मीटर)	सभी बर्थों की कुल लम्बाई (मीटर)	चैनल और बर्थों की कुल लम्बाई (मीटर)	बर्थों में प्रभाजित (चैनल अतिरिक्त)	एफबी–1 की लम्बाई (मीटर)	एफबी–1 में प्रभाजित	
1999-00	1561.62	9	173.51	1561.62	500	2114	2614	1262.92	252	**150.55**	22.97
2000-01	2676.50	9	297.39	2676.50	500	2114	2614	2164.55	252	**258.03**	39.36
2001-02	2149.31	13	165.33	2149.31	500	3114	3614	1851.95	252	**149.87**	15.46
2002-03	1973.74	14	140.98	1973.74	500	3404	3904	1720.96	252	**127.40**	13.58
2003-04	2014.94	14	143.92	2014.94	500	3404	3904	1756.88	252	**130.06**	13.86
2004-05	2843.29	14	203.09	2843.29	500	3404	3904	2479.14	252	**183.53**	19.56
2005-06	3418.23	14	244.16	3418.23	500	3404	3904	2980.44	252	**220.64**	23.52
2006-07	3102.79	14	221.63	3102.79	500	3404	3904	2705.40	252	**200.28**	21.35
2007-08	2943.24	14	210.23	2943.24	500	3404	3904	2566.29	252	**189.98**	20.25
2008-09	4066.40	14	290.46	4066.40	500	3404	3904	3545.60	252	**262.48**	27.97
2009-10	4539.28	14	324.23	4539.28	500	3404	3904	3957.92	252	**293.01**	31.23
			2414.94						2165.84	249.10	

(4).	**प्रभाजित प्रबंधन तथा सामान्य व्यय**	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
(i).	पोत संबंधित गतिविधि के अधीन प्रशासन तथा सामान्य व्यय (प्रत्यक्ष) (फार्म–5 के अनुसार)	139.13	155.77	202.53	250.73	243.31	235.46	331.07	301.25	525.02	651.72	2219.09
(ii).	पोत संबंधित गतिविधि में प्रभाजित संयुक्त प्रबंधन तथा सामान्य व्यय (फार्म–5 के अनुसार)	1435.65	1344.97	1624.32	1461.74	1441.87	797.01	790.55	756.78	936.00	1141.59	1265.00
(iii).	पोत संबंधित गतिविधि के लिए कुल प्रबंधन तथा सामान्य व्यय (i) + (ii)	1574.78	1500.74	1826.85	1712.47	1685.18	1032.47	1121.62	1058.03	1461.02	1793.31	3484.09
(iv).	बर्थिंग गतिविधि में प्रभाजित (टिप्पणी–7)	1158.25	1177.33	1479.38	1372.20	1311.74	809.25	861.07	798.18	1232.52	1450.43	2683.79
(v).	जीआरटी अनुपात पर एफबी–1 में प्रभाजित	**108.36**	**47.29**	**26.65**	**48.92**	**74.82**	**46.73**	**58.06**	**47.54**	**66.11**	**62.59**	**129.63**

(5).	प्रभाजित वित्त एवं विविध व्यय	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
(i).	पोत संबंधित गतिविधि में प्रभाजित वित्त एवं विविध व्यय (फार्म–5 के अनुसार)	552.71	626.81	802.39	372.21	342.03	1493.22	1369.5	1033.42	446.00	543.00	810.00
(ii).	बर्थिंग गतिविधि में प्रभाजित (टिप्पणी–7)	406.52	491.73	649.78	298.25	266.24	1170.39	1051.37	779.61	376.25	439.18	623.94
(iii).	जीआरटी अनुपात पर एफबी–1 में पुनः–प्रभाजित	**38.03**	**19.75**	**11.70**	**10.63**	**15.19**	**67.59**	**70.89**	**46.44**	**20.18**	**18.95**	**30.14**

(6).	संयुक्त परिसंपत्तियां											
	पोत संबंधित गतिविधि के लिए संयुक्त परिसंपत्तियों की हिस्सेदारी (टिप्पणी–8)	319.90	352.91	301.27	355.52	361.24	359.41	369.53	360.81	372.06	372.87	365.14
	बर्थिंग गतिविधि के लिए प्रभाजित संयुक्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी–7)	106.63	117.64	100.42	118.51	120.41	119.80	123.18	120.27	124.02	124.29	121.71
	जीआरटी अनुपात पर एफबी–1 में प्रभाजित संयुक्त परिसंपत्तियां	9.98	4.73	1.81	4.23	6.87	6.92	8.3	7.16	6.65	5.36	5.88

(7). **पोत संबंधित गतिविधि से बर्थिंग गतिविधि में प्रभाजन का आधार (पीपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव सुविचारित नहीं किया गया)**

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
बर्थिंग उप–गतिविधि के प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (फार्म–5 के अनुसार)	389.54	418.38	542.98	433.83	463.12	559.06	604.36	691.57	1834.05	1828.15	2198.90
बर्थिंग गतिविधि (ऊपर टिप्पणी 3 में दिए गए अनुसार चैनल की लम्बाई और बर्थों की लम्बाई के आधार पर प्रभाजित) में निकर्षण व्ययों की हिस्सेदारी (फार्म–5 के अनुसार)	1262.92	2164.55	1851.95	1720.96	1756.88	2479.14	2980.44	2705.40	2566.29	3545.60	3957.92
बर्थिंग उप–गतिविधि के कुल प्रत्यक्ष व्यय	1652.46	2582.93	2394.93	2154.79	2220.00	3038.20	3584.80	3396.97	4400.34	5373.75	6156.82
पोत संबंधित गतिविधि के कुल प्रत्यक्ष व्यय (फार्म–5 के अनुसार प्रशासन तथा सामान्य व्यय अतिरिक्त)	2246.60	3292.54	2957.36	2689.22	2852.03	3876.29	4669.46	4503.11	5216.16	6643.95	7992.48
पोत संबंधित गतिविधि के कुल व्ययों में बर्थिंग व्ययों का अनुपात	73.55%	78.45%	80.98%	80.13%	77.84%	78.38%	76.77%	75.44%	84.36%	80.88%	77.03%

जीआरटी अनुपात	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
पत्तन का कुल जीआरटी	14364622	20732258	20798989	22554325	23525352	26712556	30932403	34916692	37674512	38566237	39125628
एफबी–1 का जीआरटी	1343836	832748	374615	804127	1341810	1542544	2085563	2079794	2020769	1664335	1889774
अनुपात	0.0935518	0.0401668	0.0180112	0.0356529	0.0570368	0.057746	0.0674232	0.0595645	0.0536376	0.0431552	0.0483002

अनुलग्नक-II

बर्थ सं. एफबी–1 में प्रहस्तित कार्गो के लिए पारादीप पत्तन न्यास को पारादीप पत्तन न्यास द्वारा देय घाटशुल्क का परिकलन

(रु0 लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
I	**बर्थ एफबी–1 को प्रभाजित कार्गो प्रहस्तन गतिविधि में आबंटित अप्रत्यक्ष व्ययों की हिस्सेदारी**											
(क).	प्रभाजित प्रबंधन तथा प्रशासन व्यय (टिप्पणी–1)	124.75	68.90	35.77	141.50	129.13	202.02	230.95	219.47	232.24	225.36	257.55
(ख).	प्रभाजित वित्त एवं विविध व्यय (टिप्पणी–2)	59.11	26.03	23.42	79.13	73.35	287.67	292.24	202.50	98.01	75.99	113.66
	उप जोड़ (क) से (ख)	**183.87**	**94.93**	**59.19**	**220.63**	**202.48**	**489.69**	**523.18**	**421.97**	**330.24**	**301.35**	**371.21**
II	**नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ**											
(क).	एफबी–1 में प्रभाजित संयुक्त परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी (टिप्पणी–3)	49.84	26.39	14.69	62.99	66.38	64.99	76.84	69.66	60.05	49.02	47.85
(ख).	नियोजित पूंजी प्रतिलाभ की लागू दर	20%	19.5%	19.5%	18.5%	18.5%	17.5%	15.0%	15.0%	16.0%	16.0%	16.0%
(ग).	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	**9.97**	**5.15**	**2.86**	**11.65**	**12.28**	**11.37**	**11.53**	**10.45**	**9.61**	**7.84**	**7.66**
III	**कुल वार्षिक लागत जमा प्रतिलाभ (I) + (II)**	**193.83**	**100.08**	**62.05**	**232.29**	**214.76**	**501.07**	**534.71**	**432.42**	**339.85**	**309.19**	**378.87**
IV	बर्थ सं. एफबी–1 में प्रहस्तित यातायात (लाख टनों में)	10.07	7.37	2.96	12.34	13.57	15.97	21.09	22.53	21.96	18.73	20.13
IV	**घाटशुल्क – रु0 प्रति टन (III/IV)**	**19.25**	**13.58**	**20.96**	**18.82**	**15.83**	**31.38**	**25.35**	**19.19**	**15.48**	**16.51**	**18.82**

टिप्पणियांः

(Rs. in lakhs)

(1).	प्रबंधन तथा सामान्य व्यय	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
(i).	कार्गो संबंधित गतिविधि को आबंटित प्रत्यक्ष प्रबंधन तथा प्रशासन व्यय	368.90	456.75	529.53	552.32	518.24	554.16	608.44	625.40	809.01	995.42	1245.03
(ii).	कार्गो संबंधित गतिविधि में प्रभाजित संयुक्त प्रबंधन तथा प्रशासन व्यय (फार्म–5 के अनुसार)	1320.38	1403.87	2024.25	2188.45	1890.32	3253.99	3017.16	3126.66	3679.00	4399.34	4900.00
(iii).	कुलl (i) + (ii)	1689.28	1860.62	2553.78	2740.77	2408.56	3808.15	3625.60	3752.06	4488.01	5394.76	6145.03
(iv).	टनभार अनुपात पर एफबी–1 में प्रभाजित	**124.75**	**68.90**	**35.77**	**141.50**	**129.13**	**202.02**	**230.95**	**219.47**	**232.24**	**225.36**	**257.55**

(2).	वित्त एवं विविध व्यय	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
(i).	कार्गो संबंधित गतिविधि में प्रभाजित वित्त एवं विविध व्यय (फार्म–5 के अनुसार)	800.48	702.78	1671.66	1532.64	1368.1	5422.74	4587.82	3461.95	1894.00	1819.00	2712.00
(ii).	टनभार अनुपात पर एफबी–1 में पुनः–प्रभाजित	**59.11**	**26.03**	**23.42**	**79.13**	**73.35**	**287.67**	**292.24**	**202.50**	**98.01**	**75.99**	**113.66**

(3).	संयुक्त परिसंपत्तियां (बर्थ किराया प्रभारों की टिप्पणी 8)											
(i).	कार्गो संबंधित गतिविधि के लिए संयुक्त परिसंपत्तियों की हिस्सेदारी (बर्थ किराया प्रभारों की टिप्पणी 8)	674.83	712.72	1048.58	1220.01	1238.15	1225.16	1206.26	1190.92	1160.50	1173.38	1141.72
(ii).	टनभार अनुपात पर एफबी–1 में प्रभाजित संयुक्त परिसंपत्तियां	49.84	26.39	14.69	62.99	66.38	64.99	76.84	69.66	60.05	49.02	47.85

टनभार अनुपात	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
पत्तन में प्रहस्तित कुल यातायात (लाख टनों में)	136.36	199.01	211.31	239.01	253.11	301.04	331.09	385.17	424.38	448.36	480.3
एफबी–1 पर प्रहस्तित यातायात (लाख टनों में)	10.07	7.37	2.96	12.34	13.57	15.97	21.09	22.53	21.96	18.73	20.13
अनुपात	0.0738486	0.0370333	0.0140079	0.0516296	0.0536131	0.0530494	0.0636987	0.0584937	0.0517461	0.0417745	0.0419113